न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 327/2016

बउनवान

राकेश कुमार आयु 28 वर्ष पुत्र श्री प्रभूलाल जाति–मीणा निवासी–होस्पीटल रोड,बारां तहसील–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री अरविन्द बघेरवाल, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 23.11.2020

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 03.11.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–सम्बलपुर, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 279 रकबा 0.48 हैक्टर किस्म गै.मु. खाल पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, फसल जप्ती, 240/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

2– अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी एवं जवाबदेहीं का अवसर दिये, बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये उक्त निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतिक्रमित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं कोई सरकारी तावान बकाया है। अपीलांट बैंक में नौकरी करता है, कृषि कार्य नहीं करता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जॉच पडताल किये एकपक्षीय आदेश पारित किया है। अतः अपीलांअ की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.11. 2014 निरस्त फरमाया जावें।

3– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट कोई अतिक्रमण नहीं है, ना हीं कभी अतिक्रमण करने की मंशा रखता है। वह बैंक में नौकरी करता है तथा बारां में निवास करता है। उसने कभी कृषि कार्य नहीं किया है। हल्का पटवारी ने बिना मौके व कब्जे की जॉच किये बिना खेत देखे मिथ्या रिपोर्ट पेश की गयी है, इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः मौके की जॉच की गयी है जिसमें अपीलांट को कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

5— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अपीलांट बैंक की नौकरी करता है तथा बारां में निवास करता है। अपीलांट ने उक्त आराजी को काश्त नहीं करना अवगत कराया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट की सुनवाई नहीं हुई है तथा जवाबदेहीं का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी बताया गया है किन्तु पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य सबूत व दस्तावेजात् नहीं है।

7— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 724/2014 में पारित आदेश दिनांक 03.11.2014 से दी गयी 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है तथा शेष आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां